भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 714

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

.....

हरियाणा में भूजल जलभृत

714. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हरियाणा राज्य के लिए भूजल जलभृतों और भूजल संसाधनों का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और अन्य गतिविधियों के लिए हरियाणा को कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) हर घर जल योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के कितने क्षेत्र को शामिल किया गया है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से देश का वार्षिक गतिशील भूजल संसाधन आकलन किया जा रहा है। वर्ष 2023 के आकलन के अनुसार हरियाणा राज्य का कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 9.55 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है और वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 8.69 बीसीएम है।

इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी ने हरियाणा राज्य सहित देशभर में राष्ट्रीय जलभृत्त मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) की शुरूआत की है जिसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के साथ जलभृत/क्षेत्र विशिष्ट भूमि जल प्रबंधन योजनाएं तैयार करने हेतु जलभृत्त की स्थिति और उनके निरूपण की रूपरेखा तैयार करना है। एनएक्यूआईएम ने हरियाणा में 44,212 वर्ग किमी क्षेत्र से संबंधित अध्ययन किए हैं। एनएक्यूआईएम के अध्ययनों के आधार पर, भूजल प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं और आगे की कार्रवाई हेतु रिपोर्टों को राज्य और जिला प्राधिकारियों के साथ साझा किया गया है।

(ग): जल राज्य का विषय होने के कारण, भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन का कार्य मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार अटल भूजल योजना, मनरेगा जैसी अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों मे सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। योजना का कार्यान्वयन कर रहे विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सूचित किया गया है, वर्ष 2023-24 के दौरान भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और अन्य जल संरक्षण गतिविधियों के लिए हरियाणा राज्य को अटल भूजल योजना और मनरेगा योजनाओं के तहत 535.05 करोड़ रू. की रशि जारी/ प्रदान की गई है।

(घ): पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ मिलकर जल जीवन मिशन (जेजेएम)- हर घर जल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है और हरियाणा में 30.41 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

*****